न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा

बईजलास श्रीमती डॉ. प्रीति सिंह पंवार आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या :– 5/2002 पुराना सिलिंग अधि0

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरियेः– तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा	**बनाम**	श्री हेमेन्द्रसिंह आत्मज श्री समरसिंह राजपूत नि0 बनेडा वगैराह तहसील – बनेडा जिला– भीलवाडा
–– (प्रार्थी)		–– (विपक्षी)

उपस्थित :– 1 विभागीय पेरोकार प्रार्थी की ओर से तहसीलदार बनेडा

2 विपक्षी भूमिधारी की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कोठारी

कार्यवाही अन्तर्गत अधिकतम कृषि भूमि सीमा अधिरोपण अधि0 1963

निर्णय दिनांक :– 11.07.2019

यह प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर रिट याचिका संख्या 1328/1979 निर्णय दिनांक 06.07.1995 से उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 31.03.76 व राजस्व अपील प्राधिकारी एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्णय दिनांक 17.08.79 को अपास्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रकरण में निम्न बिन्दु के बारे में जांच की जाकर अजसरे निर्णय पारित किया जावे । बिन्दुओ का विवरण इस प्रकार हैः–

1. श्रीमति खुमान कुमारी विधवा रामसिंह द्वारा दि0 25.02.1958 से उस की मृत्यु दि0 5/1/66 तक जो हस्तान्तरण किये है उसकी वैधानिकता के बारे में परीक्षण किया जाकर उनका इस मामले में क्या प्रभाव रहेगा क्यो कि श्री अमर सिंह दि0 04.01.1966 को जीवित थे।

2. श्री प्रताप सिंह व यशवन्त कुमारी के खुदकाश्त की जमीन विपक्षी हेमेन्द्र सिह व निहाल कुमारी की भूमि में सम्मिलित किया गया जबकि यशवन्त कुमारी दि0 16.05.1972 तक जीवित थी और सिलिंग अधि0 के तहत नोटिस जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

प्रकरण में पुराने सिलिंग अधिनियम के तहत प्रतिपक्षी/गैरसायल श्री हेमेन्द्र सिंह भूतपूर्व जागीरदार बनेडा के खाते की भूमि का एसेसमेन्ट तत्समय में उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी भीलवाडा के न्यायालय द्वारा किया जाकर भूतपूर्व जागीरदार श्री हेमेन्द्र सिंह के खाते से 1053.26 स्टेण्डर्ड एकड़ तथा भूतपूर्व जागीरदार श्री हेमेन्द्र सिंह की माता श्रीमति निहाल कुमारी के खाते से 187.39 स्टेण्डर्ड एकड़ कुल 1270.65 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की जाकर राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिनांक 31.03.1976 को पारित किये गये थें। उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपास्त होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को पुनः कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया तत्पश्चात् राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी बनेडा का नवीन पद सृजित हो जाने से प्रकरण को अन्तिम विनिश्चिय कराने के लिये उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी बनेडा को हस्तान्तरण किया।

प्रकरण उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी भीलवाडा से प्राप्त होने पर न्यायालय में संस्थित किया जाने के बाद कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दिनांक 09.07.2019 को बहस सुनी गई। तहसीलदार बनेडा द्वारा दिनांक 11.01.2018 को पृथक से लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

प्रकरण में पुराने सिलिंग अधिनियम के तहत भूतपूर्व जागीरदार बनेडा स्व0 अमर सिंह के जीवनकाल में दिनांक 25.02.1958 को आधार स्तम्भ लिया जाकर जागीरदार के खाते में अभिलिखित भूमि की गणना की गई तथा दिनांक 31.12.1969 तक जागीरदार द्वारा सद्भाविक रूप से हस्तान्तरण की गई भूमि के सम्बन्ध में विश्लेषण करते हुये प्रकरण का अन्तिम विनिश्चिय किया जा रहा है।

प्रकरण में भूमिधारी/भूतपूर्व जागीरदार बनेडा की ओर से अपने परिवार का सजरा जो दौराने कार्यवाही प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

राजा गोविन्द सिंह जी
माघ बु0 13 सं0 1961 वि0

राजा अक्षय सिंह जी
पोष वि0 14 सं0 1965 वि0

कु0 राम सिंह जी
श्रावण सुदी 4 सं0 1969
धर्म पत्नी खुमाण कुमारी 05.01.66

राजाधिराज अमर सिंह जी
11.05.1967

राजकुमार प्रताप सिंह जी
06.01.1957
धर्मपत्नी यशवन्त कुमारी
मई 1972

पुत्र
भवंर समर सिंह जी
26.10.1961
धर्म पत्नी निहाल कुमारी

हेमेन्द्र सिंह	पराक्रम सिंह	ललित कुमारी	निर्मल कुमारी
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)	(पुत्री)

उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर बनेड़ा

उपरोक्त पारिवारिक सजरे के बारे में प्रार्थी की और से पेरोकार सरकार ने किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत किये गये पारिवारिक सजरे पर अविश्वास करने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष दृष्टिगत नहीं होता है।

इस प्रकार प्रकरण में भूमिधारी के पारिवारिक सजरे के अनुसार प्रतिपक्षी स्व0 श्री अमर सिंह के जीवनकाल में दिनांक 25.02.1958 को भूमिधारी के खाते में अभिलिखित भूमि व दिनांक 31.12.1969 तक भूमिधारी अथवा उसके विधिक वारिसान की और से सद्भाविक रूप से किये गये हस्तान्तरणों का विवरण इस प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

1. श्री अमर सिंह भूतपूर्व जागीरदार बनेडा के खाते में दिनांक 31.12.1969 तक सद्भाविक हस्तान्तरण करने के पश्चात् तत्समय में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शेष दर्शायी गई भूमि का विवरण :–

क0सं0	नाम ग्राम	स्टेण्डर्ड एकड़ों में
1.	मुशी	3.00
2.	खातन खेडी	66.60
3.	कजलोदिया	4.00
4.	कंकोलिया	8.63
5.	लसाडिया	2.00
6.	सरदार नगर	13.00
7.	बनेडा	82.50
8.	सुल्तानगढ	14.54
9.	दुदला	1.24
10.	मेघरास	19.35
11.	मूसा	0.00
12.	महूआ खूर्द	387.00
13.	नृसिंहपुरा तह0 शाहपुरा	3.92
14.	लुलास	127.07
	कुल योग –	**732.85 स्टेण्डर्ड एकड़**

इस न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर रिट याचिका संख्या 1328/1979 निर्णय दिनांक 06.07.1995 से उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 31.03.76 व राजस्व अपील प्राधिकारी एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्णय दिनांक 17.08.79 को अपास्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया। प्रकरण का अध्ययन करने पर गणना की भूल होना अंकगणितीय व लेखन की भूल होना इस न्यायालय के संज्ञान में आया जो कि अब तक उच्चतर न्यायालयों तक मामले के परीक्षण करने तक ध्यान में नही आया लेकिन अब चूंकि इस न्यायालय के संज्ञान में आ जाने से ऐसी भूल को सुधार कर दुरूस्त किया जाना नितान्त ही न्यायोचित एंव विधिसंम्मत है।

विपक्षी/भूमिधारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित व मौखिक बहस में बलपूर्वक न्यायालय को अवगत कराया कि भूतपूर्व जागीरदार स्व0 अमर सिंह के खाते में कुल 1516–16 बीघा भूमि जिसके स्टेण्डर्ड एकड़ 349.57 बनते है। जिसके स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

तत्समय के प्राधिकारी ने प्रकरण में निर्णय पारित करते समय 914.85 स्टेण्डर्ड एकड़ का योग दर्शाया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह अवश्य है कि निर्णय में 914.85 स्टेण्डर्ड एकड़ दर्शाये गये लेकिन ग्राम मुशी में 185 स्टेण्डर्ड एकड़ लिखा गया जबकि 3 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि ही थी। जिससे 182 स्टेण्डर्ड एकड़ योग में अधिक लिया गया। इस त्रुटि पर न्यायालय में प्रकरण में निर्णय करते समय अधिक लिखे गये 182 स्टेण्डर्ड एकड़ को कुल योग में कमी करते हुये 732.85 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमिधारी स्व0 अमर सिंह के खाते में दर्शाया गया। इसी भूमिधारी के ग्राम महूआखूर्द में 3.87 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि के स्थान पर 387 स्टेण्डर्ड एकड़ तत्समय के निर्णय में लिखा गया। जबकि वास्तविक रूप में 3.87 स्टेण्डर्ड एकड़ ही लिखा जाना था। इस प्रकार 383.13 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि भूतपूर्व जागीरदार के खाते में योग करते समय अधिक लिखा गया जिससे कम करने के पश्चात भूतपूर्व जागीरदार स्व0 अमर सिंह के खाते में 349.72 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रहती है। इस त्रुटि के बारे में प्रार्थी की और से विभागीय पैरोकार ने भी कोई खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में न्याय निर्णय के अनुसार यह सुस्थापित है कि भूतपूर्व जागीरदार स्व0 अमर सिंह के खाते में 383.13 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि योग में अधिक लिया गया जो त्रुटिपूर्ण होने से जागीरदार के भूमि का एसेसमेन्ट करते समय कमी किया जाना युक्तियुक्त एंव न्याय संगत है।

भूतपूर्व जागीरदार स्व0 अमर सिंह के खाते में तत्समय प्राधिकृत अधिकारी ने अपने निर्णय में ग्राम बनेडा में 82.50 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि दर्शाया गया था। जबकि वर्णित भू–भाग में से 400 बीघा भूमि भीम स्मारक ट्रस्ट को हस्तगत कर दिया गया था। भीम स्मारक ट्रस्ट के पक्ष में ग्राम बनेडा में भूतपूर्व जागीरदार स्व0 अमर सिंह ने जिस 400 बीघा भूमि को हस्तान्तरण किया है, उस बारे में उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने भीम स्मारक ट्रस्ट को ग्राम मुण्डेता व लुलास तहसील शाहपुरा में भूमि का हस्तान्तरण किया गया था। इस सम्बन्ध में भीम स्मारक धर्मार्थ् न्यास बनेडा जरिये कार्यवाहक ट्रस्टी श्री हेमेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरण संख्या 101/1974 निर्णय दिनांक 15.03.1976 में प्राधिकृत अधिकारी/उपखण्ड़ अधिकारी शाहपुरा ने पुराने सिलिंग अधिनियम के तहत निर्णय पारित करते समय भीम स्मारक धर्मार्थ् न्यास बनेडा का निर्माण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सिलिंग कानून लागू होने से पूर्व हुआ है। और विहित अधिनियम की धारा "30जे" के अन्तर्गत भीम स्मारक धर्मार्थ् न्यास बनेडा के विरूद्ध सिलिंग सम्बन्धी मामले को समाप्त किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

जिससे यह स्पष्ट है कि भीम स्मारक धर्मार्थ् न्यास बनेडा जो देवस्थान/मन्दिर, मूर्ति के अनुरूप सिलिंग सीमा से छूट कानूनन दी गई है। हालांकि भूतपूर्व जागीरदार स्व0 अमर सिंह भीम स्मारक धर्मार्थ् न्यास बनेडा के पक्ष में ग्राम बनेडा में जिस भूमि का हस्तान्तरण किया है तथाकथित हस्तान्तरण दिनांक 31.12.1969 के बाद का है। किन्तु मन्दिर मूर्ति/धर्मार्थ् ट्रस्ट के विरूद्ध सिलिंग नियमों के तहत कार्यवाही किया जाना नियमों में अंकित प्रावधानों के प्रतिकूल माना गया है। जबकि प्राधिकृत अधिकारी भीलवाडा ने भीम स्मारक धर्मार्थ् न्यास बनेडा के पक्ष में हस्तान्तरण की गई भूमि को भूतपूर्व जागीरदार स्व0 अमर सिंह के खाते में सम्मिलित करते हुये ग्राम बनेडा में स्थित भूमि का एसेसमेन्ट किया गया जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। स्थिति अधिक स्पष्ट करने के लिये भूमिधारी की ओर से भीम स्मारक धर्मार्थ् न्यास बनेडा द्वारा वर्ष अप्रेल 2006 से 31 मार्च 2007, अप्रेल 2007 से मार्च 2008, अप्रेल 2008 से मार्च 2009, अप्रेल 2009 से मार्च 2010, अप्रेल 2010 से मार्च 2011, अप्रेल 2011 से मार्च 2012 व अप्रेल 2012 से मार्च 2013, तथा अप्रेल 2013 से मार्च 2014, अर्थात् 08 वित्तिय वर्ष का लेखा–जोखा आमद व खर्च के बारे में अपनी ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रतियॉ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भूमिधारी की और से प्रस्तुत की ऑडिट रिपोर्ट से यह तथ्य सिद्ध है कि श्री भीम स्मारक धर्मार्थ् ट्रस्ट बनेडा की और से सार्वजनिक प्रयोजन व अन्य धर्मार्थ व कार्यालय व्यय में हुये खर्च के ब्यौरे का उल्लेख किया है। इसके साथ–साथ भीम स्मारक धर्माथ् ट्रस्ट बनेडा को आलोच्य वर्ष के दौरान हुई आमद का भी अंकन किया है। इससे यह विदित होता है, कि श्री भीम स्मारक धर्माथ् ट्रस्ट बनेडा समय–समय पर धर्माथ् के कार्यो में भी होने वाली आमद से पैसा खर्च किया जाता रहा है। और धर्मार्थ के कार्यो में कृषि उपज से आय इस धार्मिक संस्था में विनियोजित की जाती रही है। ऐसी स्थिति में भीम स्मारक धर्मार्थ् न्यास बनेडा के द्वारा धारित भूमि 400 बीघा भूमि जिसके स्टेण्डर्ड एकड़ 68 बनते है। उक्त भूमि का हस्तान्तरण निर्धारित समय सीमा के बाद का होने पर भी सामान्य न्याय सिद्धान्तों के अनुसार भूमिधारी के खाते में सम्मिलित किये गये उक्त क्षैत्रफल को मिनात देकर अलग किया जाना न्याय संगत है। अर्थात ग्राम बनेडा के 82.50 स्टेण्डर्ड एकड़ में से 68 स्टेण्डर्ड एकड़ कम करने के पश्चात 14.50 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि ही अधिशेष घोषित किये जाने योग्य रह जाती है। इस प्रकार भूतपूर्व जागीरदार स्व0 अमर सिंह के खाते में प्राधिकृत अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा ने ग्राम महूआखूर्द में 383.13 स्टेण्डर्ड एकड़ ग्राम बनेडा में 68.00 स्टेण्डर्ड एकड़ कुल 451.13

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि जो अधिशेष योग्य नहीं थी। फिर भी उक्त भू–भाग को अधिशेष घोषित किया गया है। जो तत्समय के न्यायालय से त्रुटि होने के कारण कुल अधिशेष होने वाले क्षैत्रफल 732.85 स्टेण्डर्ड एकड़ में से मिनात करने योग्य है। उक्त भू–भाग मिनात करने पर भूतपूर्व जागीरदार बनेडा स्व0 अमर सिंह के खांते से कुल 732.85 स्टेण्डर्ड एकड़ में से 451. 13 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि कम करने पर 281.72 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिशेष योग्य रहती है।

2. श्री समर सिंह पिता स्व0 प्रताप सिंह भूतपूर्व जागीरदार बनेडा के खाते में दिनांक 31.12. 1969 तक सद्भाविक हस्तान्तरण करने के पश्चात तत्समय में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शेष दर्शायी गई भूमि का विवरण :–

क0सं0	नाम ग्राम	स्टे0 एकडो में
1.	मुशी	2.85
2.	मूसा	165.20
3.	महुआखूर्द	31.00
4.	झांतल	109.00
5.	लाम्बियाकलां	23.00
	कुल योग –	**331.05 स्टे0 एकड**

उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर बनेड़ा

उक्त भूमिधारी के विरूद्ध प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर भूमिधारी स्व0 समर सिंह भूतपूर्व जागीरदार बनेडा का निधन विपक्षी की और से प्रस्तुत सजरे के अनुसार दिनांक 26.10.1961 को ही हो चुका था। जिससे भूमिधारी स्व0 समर सिंह पिता स्व0 प्रताप सिंह के खाते में अभिलिखित भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार से गुणावगुणों पर विचार करने की कोई औच्यितता नहीं हैं क्योंकि पुराने सिलिंग अधिनियम प्रभाव में आने से पहले ही जागीरदार स्व0 समर सिंह का निधन हो चुका था। ऐसी स्थिति में स्व0 समर सिंह के खाते में अंकित भूमि जो विरासतन प्रतिपक्षी भूमिधारी श्री हेमेन्द्रसिंह के खाते में समायोजित होकर अधिशेष घोषित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटी होना प्रकट नहीं होता है।

3. श्रीमति खुमान कुमारी पत्नी श्री राम सिंह भूतपूर्व जागीरदार बनेडा के खाते में दिनांक 31.12.1969 तक सद्भाविक हस्तान्तरण करने के पश्चात तत्समय में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शेष दर्शायी गई भूमि का विवरण :–

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील)

क0सं0	नाम ग्राम	स्टे0 एकडो में
1.	लापिया	79.36
	कुल योग –	79.36 स्टे0 एकड

प्रतिपक्षी/भूमिधारी जागीरदार बनेडा की ओर से न्यायालय के समक्ष परिवार का जो सजरा प्रस्तुत किया गया है, उसमें खुमान कुमारी पत्नी रामसिंह जो पारिवारिक सजरे के मुताबिक राजा गोविन्द सिंह के दो पुत्र अक्षय सिंह व रामसिंह हुये जिनमें खुमान कुमारी स्व0 रामसिंह की पत्नी होकर भूमिधारी जागीरदार बनेडा श्री हेमेन्द्र सिंह के पितामह अमर सिंह की चाची थी। सिलिंग नियमों में परिवार के लिये जो परिभाषा दी गई है। उसमें पत्नी, आश्रित बच्चे, बच्ची और विधवा माता जो भूमिधारी पर आश्रित हो, अर्थात् नियमों में चाची को परिवार की सदस्यो में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके उपरान्त भी खुमान कुमारी को तत्समय में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुराने सिलिंग अधिनियम के तहत भूमि का एसेसमेन्ट करते हुये जागीरदार बनेडा श्री हेमेन्द्र सिंह के परिवार की सदस्या मानते हुये खुमान कुमारी के खाते में अभिलिखित 79.36 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को सम्मिलित किया गया है। जबकि विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने अपनी लिखित व मौखिक बहस में यह कथन किया कि खुमान कुमारी ने अपने जीवनकाल में ही अपने खाते में अभिलिखित भूमि को सिलिंग नियमों के प्रभावित होने से पहले ही हस्तान्तरण कर दिया गया था। भूमि हस्तान्तरण करने के बाद श्रीमति खुमान कुमारी का दिनांक 05.01.1966 को निधन हो चुका था। इसके बाद भी खुमान कुमारी द्वारा किये गये हस्तान्तरण की भूमि को जागीरदार बनेडा श्री हेमेन्द्र सिंह के खाते में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित नहीं था। प्रथम दृष्टया खुमान कुमारी सिलिंग नियमो के तहत जागीरदार हेमेन्द्र सिंह के परिवार की सदस्य की श्रेणी में नहीं आने के कारण सिलिंग अधिनियम के तहत भूमिधारी/जागीरदार बनेडा के विरूद्ध संधारित सिलिंग प्रकरण में भूमि का ऐसेसमेन्ट करते समय खुमान कुमारी के खाते की भूमि को सम्मिलित किया जाना न्याय संगत नहीं था। ऐसी स्थिति में खुमान कुमारी के खाते की 79.36 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को जागीरदार हेमेन्द्र सिंह बनेडा के खाते में सम्मिलित करते हुये विहित नियमों के तहत अधिशेष घोषित किये गये क्षैत्रफल में से मिनात योग्य है। इस प्रकार जागीरदार बनेडा के खाते से सिलिंग नियमों के तहत 1143.26 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि दिनांक 31.12.1969 को शेष होना दर्शाया गया है। उसमें 79.36 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि कम करने पर 1063.90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि ही शेष रह जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

4. श्रीमति निहाल कुमारी पत्नी स्व0 श्री समर सिंह भूतपूर्व जागीरदार बनेडा के खाते में दिनांक 31.12.1969 तक सद्भाविक हस्तान्तरण करने के पश्चात तत्समय में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शेष दर्शायी गई भूमि का विवरण :–

क0सं0	नाम ग्राम	स्टे0 एकडो में
1.	कंकोलिया	3.00
2.	कुंवार	45.80
3.	मुशी व गणेशपुरा	168.59
	कुल योग –	**217.39 स्टे0 एकड**

श्रीमति निहाल कुमारी जो कि जागीरदार बनेडा श्री हेमेन्द्र सिंह की माता होकर परिवार में स्वंतत्र यूनिट है। जो पुराने सिलिंग अधिनियम के तहत 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने की हकदारिणी है। जिससे श्रीमति निहाल कुमारी के खाते में दिनांक 31.12.1269 के पश्चात् अभिलिखित 217.39 स्टेण्डर्ड एकड में से 30 स्टेण्डर्ड एकड़ कम करने के पश्चात 187.39 स्टेण्डर्ड एकड़ अधिशेष घोषित किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय में श्री प्रताप सिंह व यशवन्त कुमारी के खुदकाश्त की जमीन को विपक्षी हेमेन्द्र सिंह व निहाल कुमारी की भूमि में सम्मिलित किया गया। जबकि यशवन्त कुमारी दिनांक 16.05.1972 तक जीवित थी। और सिंलीग अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया था। प्रताप सिंह व यशवन्त कुमारी के खुदकाश्त की भूमि का जहॉ प्रश्न है, प्रथम दृष्ट्या खुदकाश्त की भूमि हस्तान्तरण योग्य नही है। दिनांक 16.05.1972 तक यशवन्त कुमारी जीवित थी। ओर उसके बाद यशवन्त कुमारी का निधन हो जाने से यशवन्त कुमारी के खुदकाश्त की जमीन भी विरासतन भूमिधारी हेमेन्द्र सिंह के पक्ष में समायोजित हुई। प्रकरण के तत्समय में निर्णय दिनांक 31.03.1976 को किया गया था। और उस समय खुदकाश्त की भूमिधारी प्रताप सिंह व यशवन्त कुमारी का निधन हो चुका था। ऐसी स्थिति में प्रताप सिंह व यशवन्त कुमारी के निधन के बाद खुदकाश्त की भूमि को भूमिधारी हेमेन्द्र सिंह के पक्ष में जोड़ा गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही कहा जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
बनड़ा (भील.)

उपरोक्त किये गये विवेचन के अनुसार प्रकरण में मूल रूप से पारिवारिक सजरे के मुताबिक दिनांक 25.02.1958 को जागीरदार के खाते में अभिलिखित भूमि को आधार स्तम्भ लिया जाकर दिनांक 31.12.1969 तक जो सद्भाविक हस्तान्तरण किये गये है। उनको मिनात करने के बाद मूल जागीरदार स्व0 अमर सिंह, प्रताप सिंह, समर सिंह के विधिक वारीसान पारिवारिक सजरे के अनुसार श्री पराक्रम सिंह जो समरसिंह का पुत्र होकर जागीदार हेमेन्द्रसिंह का छोटा भाई है, किन्तु पराक्रम सिंह की भूमि के सम्बन्ध में अलग से सिलिंग नियमों के तहत कार्यवाही की जाकर अन्तिम विनिश्चिय किया जा चुका है। वैसे भी पराक्रम सिंह जो कि स्व0 समर सिंह का वयस्क पुत्र है। इनकी भूमि को हेमेन्द्र सिंह के परिवार की यूनिट में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। भूमिधारी हेमेन्द्रसिंह के परिवार में स्व0 समर सिंह की पत्नी श्रीमति निहाल कुमारी व दो पुत्रियॉ क्रमशः ललित कुमारी एंव निर्मल कुमारी जो वयस्क होकर परिवार के स्वंतत्र यूनिट की श्रैणी में है। जिससे सिलिंग नियमों के प्रावधानों के तहत भूमिधारी हेमेन्द्र सिंह के साथ–साथ उनकी माता निहाल कुमारी व बहने ललित कुमारी एंव निर्मल कुमारी भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत परिवार में स्वंतत्र यूनिट की श्रैणी में होने के कारण माता व प्रत्येक बहन 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने की हकदार है। हेमेन्द्र सिंह के परिवार में पॉच सदस्यों से अधिक पारिवारिक सदस्य नहीं है। जिससे हेमेन्द्र सिंह 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने के अधिकारी है। इसी प्रकार माता निहाल कुमारी व दोनो बहने ललित कुमारी एंव निर्मल कुमारी जो कि स्व0 अमर सिंह के पुत्र प्रताप सिंह की पौत्रियॉ होकर परिवार के स्वंतत्र यूनिट की श्रैणी में होने से प्रत्येक 30–30 स्टेण्डर्ड एकड़भूमि रखने की अधिकारिणी है।

इस प्रकार कुल 120 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि जागीरदार/भूमिधारी के खाते में छोडने के पश्चात् पूर्व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिशेष घोषित किया गया 1360.65 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि में से त्रूटिवश अधिक जोडा गया क्षैत्रफल 462.49 स्टेण्डर्ड एकड़ व भीम स्मारक ट्रस्ट बनेडा के लिये दी गई 400 बीघा भूमि जिसके 68 स्टेण्डर्ड एकड़ है। इस प्रकार 462.49 व 68 स्टेण्डर्ड एकड़ कुल 530.49 स्टेण्डर्ड एकड़ होते है। जिनको पूर्व में अधिशेष घोषित किया क्षैत्रफल 1360.65 में से 530.49 स्टेण्डर्ड एकड़ कम करने के बाद 830.16 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि जागीदार के पास उपलब्ध रहती है। जिसमें से सिंलिंग अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार के लिये 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि जिसमे हेमेन्द्र सिंह व उनकी माता निहाल

उपखण्ड अधिकारी

कुमारी तथा दो बहनें कमशः ललित कुमारी व निर्मल कुमारी प्रत्येक के लिये 30–30 कुल 120 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि छोडने के उपरान्त भूमिधारी हेमेन्द्र सिंह के खाते से ग्राम मुशी, खातनखेडी, कजलोदिया, कंकोलिया, लसाडिया, सरदारनगर, बनेडा, दुदला, मेघरास, मूसा, महूआखूर्द, नृसिंहपुरा, लुलास, सुल्तानगढ, झांतल लाम्बियाकलां, लापिया, कुवांर, ग्रामों में 710.16 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिशेष (सरप्लस) घोषित की जाती है। स्थिति को अधिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्पष्ट करने के लिये "परिशिष्ट अ" तैयार किया जाकर इस निर्णय के साथ संलग्न करते हुये "परिशिष्ट अ" को इस निर्णय का अभिन्न अंग बनाया जाता है।

भूमिधारी को निर्देश है कि सिलिंग नियमों के तहत अधिशेष घोषित किया गया क्षैत्रफल जो राज्य सरकार में निहित किया जाना है। उसके लिये भूमिधारी 15 दिवस में भारमुक्त भूमि के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करें। विकल्प प्रस्तुत होने के पश्चात् भूमिधारी के खाते से भूमि को सिवायचक बिलानाम सरकार घोषित करते हुये वर्णित आराजी भू–भाग जो पूर्व में अधिशेष घोषित होकर बिलानाम होने से विभिन्न व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन के लिये आवंटन की गई अथवा अकृषि योग्य भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण किया गया। ऐसे मामलों को अधिशेष घोषित होने वाली भूमि में सम्मिलित करते हुये राजस्व अधिकार अभिलेख में जैसा भी ईन्द्राज है। उक्त ईन्द्राज को यथावत रखा जावें। ताकि आंवटियों को अनावश्यक किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पडे।

आदेश आज दिनांक 11.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी
(प्राधिकृत अधिकारी)
बनेडा

परिशिष्ट "अ"

	गॉव का नाम	पूर्व फैसले में लिया गया क्षैत्रफल (स्टे0ए0)	त्रुटिगत क्षैत्रफल (जो कमी योग्य है)			फाजिल जोड को कम करने पर क्षैत्रफल (4–7)	पारिवारिक यूनिट की छूट स्टे0ए0	अब शुद्ध अधिशेष योग्य
			फाजिल जोडा गया ग्राम महूआखूर्द 3.87 के बजाय 387 जोडा गया	भीम स्मारक ट्रस्ट बनेडा (400 बीघा)	योग (5+6)			
	3	4	5	6	7	8	9	10
सिंह जी	मुशी, खातनखेडी, कजालेदिया, कंकोलिया, लसाडिया, सरदारनगर, बनेडा, दुदला, मेघरास, मुसा, महूआखूर्द, नृसिंहपरा, लुलास, सुलतानगढ	732.85	383.13	68.00	451.13	281.72	3 X 30 = 90	
सिंह जी	मुशी, मुसा, महूआखूर्द, झातंल, लाम्बियाकलां	331.05	—	—	—	331.05		
		1063.90	383.13	68.00	451.13	612.77	90	522.77
कुमारी जी	लापिया	79.36	79.36	—	79.36	00.00	—	—
ग		1143.26	462.49	68.00	530.49	612.77	90	522.77
कुमारी जी	कंकालिया, कुंवार, मुशी	217.39	—	—	—	217.39	30	187.39
		1360.65	462.49	68.00	530.49	830.16	120	710.16

क0सं0 03. श्रीमति खुमान कुमारी जी परिवार का अंग नहीं होने से/ स्वंतत्र यूनिट होने से इस प्रकरण में मान्य नहीं किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)